(70)

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

संख्याः 10/2019

बाबूलाल जानू प्रर्वतन अधिकारी जरिये राजस्थान सरकार।

– प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र स्वामी उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नं0 8 से 15, गुढागौडजी, तहसील उदयपुरवाटी।

– अप्रार्थी

– – –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्तशुदा 3564.512 किलो गेहूं राजसात करने बाबत।

– – –

उपस्थित : –
श्रीमती अनामिका, विभागीय प्रतिनिधि – प्रार्थी की ओर से।
श्री निरंजन कुमार, एडवोकेट – अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः– 12.04.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान प्रर्वतन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, झुंझुनूं की ओर से किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी प्रर्वतन री झुंझुनूं पद्स्थापित है जो लोक सेवक की श्रेणी मे आता है। दिनांक 019 को जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं हमराह श्री हेमन्त पूनियां, सूचना सहायक द्वारा न्द्र स्वामी उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 8 से 15 गुढागौडजी की दुकान का क निरीक्षण किया गया। जांच मे पाया कि पोश मशीन मे 1993.60 किलो गेहूं स्टॉक था लेकिन भौतिक सत्यापन मे दुकान मे 5558.112 किलो गेहूं पाया गया। इस प्रकार ने 5558.112–1993.60=3564.512 किलो गेहूं अधिक पाया गया। स्टॉक मे अधिक पाये हूं के बारे मे कोई संतोषप्रद जबाब नही देने पर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा ने अधिक पाया गया 3564.512 किलोग्राम गेहूं को जब्त किया जाकर श्री गोर्वधन शर्मा, 0 गुढागौडजी की सुपुर्दगी मे दिया गया तथा मौके पर ही पॉश मशीन संख्या 13712 ह सबूत कब्जे मे लिया गया। मौके पर ही फर्द [illegible], फर्द नामा एवं फर्द निरीक्षण तैयार की गई। मौके पर उचित मूल्य [illegible] ने गेहूं के ालान, प्राधिकार पत्र एवं स्टॉक रजिस्टर पेश [illegible] द्वारा र पत्र संख्या 970/2002 मे दर्ज गोदाम जो कि [illegible] बिजारणियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुन्झुनूं

ुकान दर्ज है से भिन्न गोदाम मे गेहूं का स्टॉक रखना एवं वितरण करना पाया गया जो अधिकृत स्थान पर वितरण करना नही पाया गया। उदयपुरवाटी क्रय–विक्रय सहकारी ति द्वारा श्री महेन्द्र स्वामी उचित मूल्य दुकानदार गुढागौडजी को दिनांक 11.01.2019 को .60 किलोग्राम गेहूं वितरण हेतु भिजवाया गया था जो कि उचित मूल्य दुकानदार की मशीन मे अपडेट हो गया था। दिनांक 11.01.2019 से निरीक्षण दिनांक 23.01.2019 तक वितरण 9180 किलोग्राम किया गया था जिसकी वितरण सूची सलंग्न प्रस्तुत है। इस श्री महेन्द्र स्वामी पुत्र श्री लक्ष्मण राम स्वामी निवासी गुढाबावनी ग्राम पंचायत ौडजी द्वारा स्टॉक मे अधिक गेहूं रखकर तथा प्राधिकार पत्र मे दर्ज गोदाम से भिन्न पर रसद सामग्री का स्टॉक संघारण एवं वितरण कर राजस्थान खाद्यान एवं अन्य यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो उल्लघंन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध अतः अवैध रूप से भण्डारित तथा प्राधिकार पत्र मे दर्ज गोदाम से भिन्न स्थान पर रित 3564.512 किलो गेहूं मय बारदाना को राजसात करने के आदेश फरमावे तथा उक्त गेहूं के अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावे।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते निवेदन किया कि दिनांक 23.01.2019 श्री महेन्द्र स्वामी उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 8 5 गुढागौडजी की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच मे पाया कि पोश न में 1993.60 किलो गेहूं स्टॉक मे दर्ज था लेकिन भौतिक सत्यापन मे दुकान मे 5558. किलो गेहूं पाया गया। इस प्रकार स्टॉक मे 5558.112–1993.60= 3564.512 किलो गेहूं क पाया गया। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार ने गेहूं के बिल, वालान, प्राधिकार पत्र एवं क रजिस्टर पेश नही किए। श्री महेन्द्र स्वामी द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 970/2002 मे गोदाम जो कि धर्मपाल पुत्र भगवताराम बिजारणियां की दुकान दर्ज है से भिन्न गोदाम मे का स्टॉक रखना एवं वितरण करना पाया गया जो कि अधिकृत स्थान पर वितरण करना पाया गया। इस प्रकार श्री महेन्द्र स्वामी पुत्र श्री लक्ष्मण राम स्वामी निवासी गुढाबावनी पंचायत गुढागौडजी द्वारा स्टॉक मे अधिक गेहूं रखकर तथा प्राधिकार पत्र मे दर्ज गोदाम भन्न स्थान पर रसद सामग्री का स्टॉक संघारण एवं वितरण कर राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की का उल्लघंन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से भण्डारित तथा प्राधिकार पत्र र्ज गोदाम से भिन्न स्थान पर भण्डारित 3564.512 किलो गेहूं मय बारदाना को राजसात के आदेश फरमावे तथा उक्त जब्त गेहूं के अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने दस्तावेज सूची किता 2 पेश की। विद्वान वकील र्थी बहस के दौरान विभागीय पैरोकार के कथनों का [illegible] किया अप्रार्थी की कोई शिकायत नही है। अप्रार्थी प्रमाणित स्थल पर [illegible] मे निर्माण चलने के कारण पास ही स्थित दूसरी दुकान पर [illegible] था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

लक्टर झुन्झुनूं

जहां तक स्टॉक में अधिक गेहूं मिलने का सवाल है उक्त गेहूं अप्रार्थी का स्वयं का था। अप्रार्थी स्वयं काश्तकार है। उक्त गेहूं काश्त की फसल का था। अप्रार्थी ने कोई गबन नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावें तथा प्रार्थी का जप्त शुंदा माल प्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण के विश्लेषण एवं निर्णय से निम्न तथ्य उजागर हुये है यथा :–

1. प्राधिकार पत्र संख्या 970/2002 में दर्ज गोदाम जो कि धर्मपाल पुत्र भगवताराम बिजारणिंया की दुकान दर्ज है से भिन्न गोदाम में गेहूं का स्टॉक रखना एवं वितरण करना पाया गया जो कि अधिकृत स्थान पर वितरण करना नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी श्री महेन्द्र स्वामी द्वारा स्टॉक में अधिक गेहूं रखकर तथा प्राधिकार पत्र में दर्ज गोदाम से भिन्न स्थान पर रसद सामग्री का स्टॉक संघारण एवं वितरण कर राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघन का दोषी है।
2. प्रार्थी द्वारा श्री महेन्द्र स्वामी उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 8 से 15 गुढागौडजी का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 23.01.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पोश मशीन में 1993.60 किलो गेहूं स्टॉक में दर्ज था लेकिन भौतिक सत्यापन में दुकान में 5558.112 किलो गेहूं पाया गया। इस प्रकार स्टॉक में 5558.112–1993.60=3564.512 किलो गेहूं अधिक पाया गया है। यह गेहूं उपभोक्ताओं को कम तोलने के कारण बचा हुआ बताया लेकिन अप्रार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त अधिक गेहूं उसकी पैदावार का है जो उसने रखे है, लेकिन इस पर जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के पेरोकार द्वारा बताया गया कि मौके पर अधिक गेहूं सरकारी बारदाना में पैक था तथा वह गेहूं सरकारी है। गेहूं के खराब होने की संभावना है जिसका शीघ्र निस्तारण आवश्यक बताया है।
3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देश दिये जाते है कि :–
   1. वह जप्त 3544.512 किलो गेहूं का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें।
   2. राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी अमल में लाई जावें।
4. आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:27:41 IST
Reason: SelfAttested

12/04/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनू